



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

उ०शि०आयोग/669(U)/2020-21

दिनांक : 21 अक्टूबर, 2020

प्रेस-विज्ञप्ति

विज्ञापन सं०-49 में विज्ञापित प्राचार्य पदों की लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह 224 अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए अभ्यर्थियों से अपनी अर्हता के सम्बन्ध में दिनांक 09.10.2020 तक प्रत्यावेदन आमंत्रित किये गये थे। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों पर समयाभाव के कारण विचार कर निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं था। अतः आयोग ने अपनी बैठक सं०-1107 दिनांक 17.10.2020 द्वारा अनर्ह अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी की साक्षात्कार से पूर्व उनके अभिलेखों के आधार पर यू०जी०सी०/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता/मानक पूर्ण करने के उपरान्त ही साक्षात्कार हेतु अनुमत किया जाना सम्भव होगा। अतः सभी अनर्ह 220 अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा विज्ञापन सं०-49 में आवेदन किया गया था, लिखित परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से उक्त शर्त के साथ प्रवेश-पत्र निर्गत किये गये हैं। उक्त सूची के 04 अभ्यर्थियों (रजि० नं० 480101482, 480100616, 480100901 एवं 480101289) जिनके द्वारा विज्ञापन सं०-49 में आवेदन नहीं किया गया है उन्हें प्रश्नगत विज्ञापन के प्रति लिखित परीक्षा हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

सचिव

उ०शि० आयोग

21/10/20

(वन्दना त्रिपाठी)

सचिव